

प्रकरण क्रमांक 174 ए/2021 इ दी

निष्ठासिंह आदि

- वादीगण

बनाम

श्रीमती राजकुमारी आदि - प्रतिवादीगण

प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 23 नियम 3 सीपीसी

श्रीमान महोदय,

प्रार्थी वादीगण एवं प्रतिवादीगण का राजीनामा प्रार्थना पत्र निम्न प्रकार प्रस्तुत है।

- 1) यह कि उपरोक्त में माननीय न्यायालय की समझाइश पर उभयपक्ष के मध्य राजीनामा निम्न प्रकार होना प्रस्तावित हुआ है।
- 2) यह कि वादीगण ने अपने हक में वसीयतनामा तारीखी 09/09/2018 जिसका रजिस्ट्रेशन नोटरी एडवोकेट अनिल कुमार श्रोत्रीय एडवोकेट डबरा के द्वारा दिनांक 04/10/2018 को संपादित हुआ जिसको कि वादीगण के हक में संपादित होना बताया है और वह वादग्रस्त भूमि से संबंधित है वह नल एंड वॉइड होना, निरस्त किया जावेगा।
- 3) यह कि उपरोक्त राजीनामे के साथ संलग्न मानचित्र परिशिष्ट "क" को राजीनामे का ही एक अंग माना जाए।
- 4) यह कि राजीनामा प्रार्थनापत्र के साथ संलग्न मानचित्र परिशिष्ट "क" में हरी स्याही से चिन्हित सम्पत्ति प्रतिवादी क्रमांक 5 के स्वत्व स्वामित्व एवं अधिपत्य की रहेगी। मानचित्र परिशिष्ट "क" में नीली स्याही से चिन्हित सम्पत्ति प्रतिवादी क्रमांक 1 लगायत 4 में समान चार भागों में उनके स्वत्व स्वामित्व एवं अधिपत्य की रहेगी। राजीनामे के साथ संलग्न मानचित्र परिशिष्ट "क" में लाल स्याही से चिन्हित सम्पत्ति वादीगण के स्वत्व स्वामित्व एवं अधिपत्य की रहेगी तथा उभयपक्ष उपरोक्त राजीनामा एवं मानचित्र के अनुसार अपनी अपनी सम्पत्ति के उपयोग तथा उपभोग में एक दूसरे के हिस्से में व्यवधान उत्पन्न नहीं करेंगे और ना ही करवाएंगे एवं इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे।

- 5) यह कि वादग्रस्त सम्पत्ति जिसका मानचित्र परिशिष्ट "क" राजीनामा प्रार्थनापत्र के साथ संलग्न है, वादग्रस्त सम्पत्ति का भाग 1/3 जो हरी स्याही से चिन्हित की गई है, जिसका कुल क्षेत्रफल 6750 वर्ग फीट, जिसकी एक भुजा पूर्व दिशा में 51 फीट, दूसरी भुजा पश्चिम दिशा में 28 फीट 2 इंच, तीसरी भुजा दक्षिण दिशा में 188 फीट, चौथी भुजा उत्तर दिशा में 167 फीट 3 इंच प्रतिवादी क्रमांक 5 श्रीमती नीलम परिहार पत्नी श्री हरीश परिहार के स्वत्व स्वामित्व एवं अधिपत्य का रहेगा।
- 6) यह कि वादग्रस्त सम्पत्ति जिसका मानचित्र परिशिष्ट "क" राजीनामा प्रार्थनापत्र के साथ संलग्न है, वादग्रस्त सम्पत्ति का भाग 1/3 जो नीली स्याही से चिन्हित की गई है, जिसका कुल क्षेत्रफल 6750 वर्ग फीट, जिसकी एक भुजा पूर्व दिशा में 51 फीट, दूसरी भुजा पश्चिम दिशा में 35 फीट 7 इंच, तीसरी भुजा दक्षिण दिशा में 167 फीट 3 इंच, चौथी भुजा उत्तर दिशा में 150 फीट 10 इंच प्रतिवादी गण क्रमांक 1 लगायत 4 राजकुमारी सिसोदिया पत्नी स्व. श्री वीरेन्द्र सिंह सिसोदिया, भूपेन्द्र सिंह सिसोदिया पुत्र स्व. श्री वीरेन्द्र सिंह सिसोदिया, जितेन्द्र सिंह सिसोदिया पुत्र स्व. श्री वीरेन्द्र सिंह सिसोदिया, कुसुम चौहान पत्नी श्री यशवंत सिंह चौहान के स्वत्व स्वामित्व एवं अधिपत्य का रहेगा।
- 7) यह कि वादग्रस्त सम्पत्ति जिसका मानचित्र परिशिष्ट "क" राजीनामा प्रार्थनापत्र के साथ संलग्न है, वादग्रस्त सम्पत्ति का भाग 1/3 जो लाल स्याही से चिन्हित की गई है, जिसका कुल क्षेत्रफल 6750 वर्ग फीट, जिसकी एक भुजा पूर्व दिशा में 51 फीट, दूसरी भुजा पश्चिम दिशा में 48 फीट 3 इंच, तीसरी भुजा दक्षिण दिशा में 150 फीट 10 इंच, चौथी भुजा उत्तर दिशा में 128 फीट 5 इंच वादी राजेन्द्र सिंह सिसोदिया पुत्र स्व. श्री शिव सिंह सिसोदिया के स्वत्व स्वामित्व एवं अधिपत्य का रहेगा।
- 8) यह कि वादी गण उक्त वसीयतनामा तारीखी दिनांक 09/09/2018 जिसका रजिस्ट्रेशन दिनांक 04/10/2018 को किया गया है उसके आधार पर एवं अन्य किसी आधार पर वादग्रस्त सम्पत्ति के संबंध में न्यायालय में क्लेम अथवा प्रकरण दायर नहीं करेंगे।
- 9) यह कि उभयपक्ष अपनी आपसी सहमति से विवादित सम्पत्ति का विधिवत तीन भाग कर प्रतिवादी अपने भाग में गड्ढे खुदवाना, दीवार/बाउंड्री खड़ी करवाना इत्यादि करेंगे जिसमें वादी गण को कोई आपत्ति नहीं होगी।

- 10) यह कि राजेन्द्र सिंह सिसोदिया आदि के विरुद्ध प्रकरण क्रमांक 1203/2022 ई.फो.व उनमान म.प्र. शासन द्वारा पुलिस थाना डबरा शहर Vs राजेन्द्र सिंह आदि न्यायालय श्रीमान जे.एम.एफ.सी डबरा में विचारणीय है जो माननीय न्यायालय से कमिट होकर सत्र न्यायालय में विचारण हेतु जायेगा एवं विचारणीय प्रकरण में प्रतिवादी जितेन्द्र सिंह सिसोदिया अपना कथन राजीनामे के अनुरूप ही देंगे तथा जमानत आवेदन जो कि माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन है उसमें यह स्वीकार करेंगे कि उभयपक्ष के मध्य राजीनामा हो चुका है, राजीनामे के अनुसार उभयपक्ष अपनी अपनी सम्पत्ति पर काबिज हैं। प्रतिवादी जितेन्द्र सिंह सिसोदिया फौ प्रकरण 1203/2022 को समाप्त कराने में सहयोग भी करेंगे, आवश्यकता होने पर न्यायालय में उपस्थित होकर अपने हस्ताक्षर करेंगे।
- 11) यह कि यदि प्रतिवादी क्रमांक 4 जितेन्द्र सिंह सिसोदिया द्वारा प्रकरण क्रमांक 1203/2022 को समाप्त कराए जाने में सहयोग नहीं किया जाता है अथवा न्यायालय द्वारा आदेश किए जाने पर अनुपस्थित होते हैं तो वादीगण उपरोक्त राजीनामे को निरस्त कराए जाने के लिए तथा न्यायालय में वाद प्रस्तुत करने के लिए स्वतंत्र रहेंगे।
- 12) यह कि उभयपक्ष अपना-अपना वाद व्यय वहन करेंगे।

ग्राम रामगढ़, तहसील डबरा, पटवारी हल्का नंबर 57, खसरा क्रमांक 312 मिन 2,

नगरपालिका वार्ड नंबर 15, कुल रकवा 0.188 हेक्टेयर = 20,250 वर्ग फीट

**मानचित्र परिशिष्ट “क”**

